# कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ललितपुर।

विज्ञप्ति सं. 85 / जि.उ.आ. / ललितपुर / 2023--24 दिनांक : जनवरी 2024

**विज्ञप्ति / सूचना**

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ललितपुर से सम्बद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा--75, उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग--2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या सी.पी.480 / 2021 / 84--2--2021--सी.एन. 1369528 दिनांक 25.11.2021 एवं इसी क्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ. प्र. लखनऊ के पत्रांक 3426 / एस.सी.डी.आर.सी. / अधि.101 / 16 दिनांक 02.12.2021 के क्रम में पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जो निम्नलिखित मानदण्ड को पूरा करते हों, अर्ह होगें :--

1. उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य।
2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य।
3. दस बर्षो से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी।
4. वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता।
5. भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ पैनलबद्ध मध्यस्थ।
6. मध्यकता / सुलह में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति।
7. न्यूनतम 15 वर्षो का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी।

**निम्न व्यक्ति जो अनर्ह होगें :--**

1. ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया हो।
2. ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हों और लंबित पड़े हों।
3. ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है।
4. ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकरण द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो और लम्बित हो अथवा दण्ड दिया गया हो।
5. ऐसा व्यक्ति जो उपभोक्ता विवाद के विषय में हितबद्ध रखता हो अथवा उससे सम्बन्धित हो अथवा जो वृतिक क्षमता सहित किसी भी रीति में उपभोक्ता विवाद में किसी भी पक्ष या उसके किसी सहभागी, सहयोगी, प्रमोटरों, मूल कम्पनी, अनुशंगी कम्पनी, भागीदारों, निदेशकों या कर्मचारी इत्यादि से सम्बन्धित हो अथवा सम्बद्ध हो अथवा जुड़ा हुआ हो।

(अ)मध्यस्थों के नियम और शर्तें, मध्यस्थों को देय शुल्क सहित, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम 2020 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार होगी।

(ब)पात्र व्यक्ति अपने आवेदन इस तरह से भेजेगें कि उनके सभी तरह से पूर्ण आवेदन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कलेक्ट्रेट परिसर ललितपुर को अन्तिम दिनांक 20-01-2024 के अपरान्ह 4.00 बजे पहुंचे। इसके बाद किसी भी कारण से बिलम्बित आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(स) चयन समिति उपम्मीदवारों की उपयुक्तता, सत्यनिष्ठा के साथ साथ प्रासंगिक अनुभव अनुभव को ध्यान में रखते हुए आवेदनों की जॉच और शार्टलिस्टिंग और अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए किसी भी मानदण्ड को अपना सकती है।

(द) इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन अनुलग्नक–1 में दिये गये प्रारूप जमा कर सकते हैं। पूर्ण जानकारी एवं आवेदित प्रारूप को विभाग की बेवसाईट htt/scdrc.up.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आदेश द्वारा प्रकाशित

4-1-2024

(सीताराम वर्मा)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
ललितपुर।

पत्रांक : / / जि.उ.आ. / ललितपुर / 2023–24 दिनांक : तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को 03 प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को कम से कम ऐ अग्रेंजी समाचार पत्र व ललितपुर मं प्रचलित एक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में निःशल्क प्रकाशित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें, तथा सूचना प्रकाशित होने सम्बन्धी समाचार पत्रों की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय को भी प्रेषित करें।
2. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन ललितपुर को एसोसिएशन के कार्यालय में चस्पा कराने के अनुरोध के साथ।
3. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
ललितपुर।

## जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ललितपुर हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में):.................................................................

2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में):...............................................

3. आवेदक के पिता/पति का नाम (हिन्दी में):.....................................................

4. आवेदक की जन्म तिथि:....................................................................

5. आवेदक की शैक्षिक योग्यता:...............................................................

6. आवेदक का स्थाई पता (हिन्दी में):..........................................................

   ............................................................................................

| |
|---|
| स्वप्रमाणित/ सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो |

7. आवेदक का पत्र व्यवहार का पताः............................................................

   ............................................................................................

8. आवेदक का मोबाइल नंबर:...................................................................

9. आवेदक की ई–मेल आई0डी0:................................................................

10. आवेदक का वर्तमान व्यवसाय एवं वार्षिक आय:................................................

11. यदि आवेदक किसी न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य/वकालत का दस वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता/मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम पांच वर्षो का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति/न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी है तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं सेवा के अंतिम पद का उल्लेख करें:......................................................

12. क्या आवेदक को कभी दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया है:–......

13. क्या आवेदक के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हैं और लंबित पड़े हैं:–.................................

14. क्या आवेदक को किसी अपराध के लिये दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है:–..........................................................

15. क्या आवेदक के विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई और लंबित है अथवा दण्ड दिया गया है:–..........................

16. अन्य विवरण यदि कोई हो:–..........................................................................................

दिनांक :

स्थान : आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

संलग्नक:

<u>घोषणा–पत्र</u>

एतदद्वारा मै यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन में जो भी सूचनायें अंकित कीं हैं वह सत्य हैं। भविष्य में यदि कोई सूचनायें गलत पाई जातीं हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक :

स्थान : आवेदक का नाम व हस्ताक्षर